

समयबद्ध/महत्वपूर्ण ई-मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
कानपुर नगर।

सेवा में,

1-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
कानपुर मण्डल, कानपुर।  
2-जिला विद्यालय निरीक्षक  
कानपुर नगर।

पत्रांक - 3115 / स0क0/छात्रवृत्ति/2017-18/दिनांक 11.08.2017


विषय- वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जारी संशोधित समय सारणी जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव विशेष सचिव उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-120/2017/आर0-2054(1)/26-3-2017/दिनांक 02.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में संशोधित समय सारणी जारी की गयी है। अतः उपरोक्त के अनुपालन में इस पत्र के साथ आपको संशोधित समय सारणी इस आशय से प्रेषित है कि अधीनस्थ सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को अपने स्तर से नियमानुसार संशोधित समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें; जिससे पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


  
(अमर जीत सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
कानपुर नगर

पृष्ठांकन सं0/ / तददिनांक  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
- 2-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशालय पत्र संख्या-सी-2539/स0क0/शिक्षा-अ/3(6)/2017-18 लखनऊ दिनांक 04.08.2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
- 4-उप निदेशक, समाज कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 5-निदेशक/रजिस्ट्रार, समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थान कानपुर नगर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त के क्रम में अपने स्तर से योजनान्तर्गत संशोधित समय सारणी के अनुसार कार्य कराये।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
कानपुर नगर।

  
2/8/17 → Copy to Kalyan for necessary Action.

प्रेषक,  
निदेशक,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,  
राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र,  
योजना भवन, लखनऊ।

संख्या C-2539स0क0/शिक्षा-अ/3(6)/2017-18 लखनऊ दिनांक ०५ अगस्त 2017  
विषय-वर्ष 2017-18 की संशोधित समय सारिणी छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड  
करने के सम्यन्त में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक 120/2017/आर-2054/26-3-  
2017-4(358)/07 टीसी-3 दिनांक 02-08-2017 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वर्ष  
2017-18 में (कक्षा-11 व 12) व दशमोत्तर कक्षाओं (गुप 1, 2, 3 व 4) के अन्तर्गत  
समाहित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु संशोधित समय सारणी जारी की  
गयी है।

अतः शासन के उक्त पत्र के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सत्र 2017-18 में जारी  
की गयी संशोधित समय सारिणी छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट  
करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

( मनोज सिंह )  
निदेशक

पुष्पांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग-3
- 2- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 3- निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा,  
उ०प्र० लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मण्डलीय, उप निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र०।
- 6- उप निदेशक, अनुसूचित जनजाति, मुख्यालय।
- 7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि शासन  
द्वारा निर्गत समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इसका व्यापक  
प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

( मनोज सिंह )  
निदेशक



4	सत्र-3	सत्र/कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 28 सितम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 15 अक्टूबर 2017 तक	01 जुलाई से 31 नवम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 31 नवम्बर 2017 तक
	सत्र-3	सत्र द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचनऊ द्वारा आभूषित की पीठल पर स्टूडेंट सेवशन में प्रदर्शित किया जाना।	सत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने काइनेल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	सत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा काइनेल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	सत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा काइनेल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	सत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा काइनेल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
	सत्र-4	ऑनलाइन आवेदन पर की हुई बापी सत्र/कार्यालयों द्वारा वाकित संलग्नकी सवित शिक्षण संस्था में जका किया जाना	आवेदन करने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 अक्टूबर, 2017 तक	आवेदन करने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 अक्टूबर, 2017 तक	आवेदन करने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 नवम्बर, 2017 तक	आवेदन करने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 नवम्बर, 2017 तक
	सत्र-4	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एप अपडेटाकित करना	02 जुलाई से 14 अक्टूबर, 2017 तक	02 जुलाई से 01 नवम्बर, 2017 तक	02 जुलाई से 14 नवम्बर, 2017 तक	02 जुलाई से 14 नवम्बर, 2017 तक
8	सत्र-5	सत्र द्वारा आवेदन पर नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं शिल्लिककारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा टीप बनाकर संस्था एवं छात्रों को शौचिक सत्यापन किया जाना।	15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक	15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक	15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक	15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक
9	सत्र-6	सम्बन्धित विद्यार्थियों एवं अन्य अप्रतिष्ठित एनेन्सी के मोडल अधिकारी, जिन विद्यालय निर्देशक (कक्षा 11-12 डेगु) एवं शैक्षणिक विभाग द्वारा सत्यापित सत्र संछप आदि की प्रमाथिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना	15 जुलाई से 16 अक्टूबर 2017 तक	01 अक्टूबर से 22 नवम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 14 नवम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 14 नवम्बर 2017 तक
10	सत्र-7	एनआईसी की राज्य इकाई में सिद्धि विन्डुओं पर परीक्षण किया जाना। PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनीयता डाटा वापस प्राप्त किया जाना	16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक	01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2017 तक	16 नवम्बर से 31 नवम्बर 2017 तक	16 नवम्बर से 31 नवम्बर 2017 तक
11	सत्र-8	जनपदीय कारवुलित स्वीकृति समिति द्वारा सुख डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को कारवुलित तथा शुल्क प्रतीपुति स्वीकृत करना	20 नवम्बर 2017 तक	10 दिसम्बर 2017 तक	10 दिसम्बर 2017 तक	10 दिसम्बर 2017 तक
12	सत्र-8	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिगिटल सिग्नेचर में सुख डाटा एवं स्वीकृत डाटा वापस किया जाना	10 दिसम्बर 2017 तक	16 जनवरी 2018 तक	16 जनवरी 2018 तक	16 जनवरी 2018 तक
13	सत्र-9	सर्वेक्षण कर डाटा को कारगो लॉक सत्र के लापिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को सत्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 से 10 नवम्बर 2017 तक	16 से 30 नवम्बर 2017 तक	01 से 10 नवम्बर 2017 तक	01 से 10 नवम्बर 2017 तक
14	सत्र-10	ऑनलाइन आवेदन पर की त्रुटियों को ठीक करके हाई बापी सत्र/ कार्यालयों द्वारा वाकित संलग्नकी सवित शिक्षण संस्था में जका किया जाना	आवेदन करने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2017 तक	आवेदन करने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 दिसम्बर 2017 तक	आवेदन करने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 14 दिसम्बर 2017 तक	आवेदन करने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 14 दिसम्बर 2017 तक

15	स्तर-10	दुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा बना किये गये आवेदन एवं को शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अप्तारित करना।	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2017 तक	16 नवम्बर से 04 दिसम्बर, 2017 तक	05 दिसम्बर से 21 दिसम्बर, 2017 तक	05 दिसम्बर से 21 दिसम्बर, 2017 तक
16	स्तर-11	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशात्मक डाटा को एनआईसीटी की राज्य इकाई में विभिन्न विन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	17 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2017 तक	05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2017 तक	21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2017 तक	21 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2017 तक
17	स्तर-12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति गणित द्वारा सन्देशात्मक एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशात्मक डाटा से अलग गुरु डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	05 दिसम्बर, 2017 तक	31 दिसम्बर, 2017 तक	1 जनवरी, 2018 तक	05 जनवरी, 2018 तक
18	स्तर-12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुल्क डाटा एवं स्वीकृत डाटा तय किया जाना।	15 दिसम्बर, 2017 तक	10 जनवरी, 2018 तक	16 जनवरी, 2018 तक	15 जनवरी, 2018 तक
19	स्तर-13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से सॉफ्ट डाटा के आधार पर एनआईसीटी की राज्य इकाई में ऑन लाईन कठाना।	25 दिसम्बर, 2017 तक	15 जनवरी, 2018 तक	21 जनवरी, 2018 तक	25 जनवरी, 2018 तक
20	स्तर-14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से सॉफ्ट डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं से बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तर्गत किया जाना।	10 जनवरी, 2018 तक	12 फरवरी, 2018 तक	17 फरवरी, 2018 तक	12 फरवरी, 2018 तक

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सचिव  
(सुनील कुमार शीवास्तव)  
विशेष सचिव

पू0स0- /2017/आर-2054(1)/26-3-2017 तद्विनिर्क-

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महासंचालक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- शूल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाल कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाल कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामला प्रसाद)  
अनुसचिव